लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2066

30 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

'जूट-स्मार्ट' प्लेटफार्म

2066. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री रवि किशन:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री बिद्युत बरण महतो:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूट उद्योग मिलों, तृतीयक क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों में श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाले प्रमुख उद्योगों में से एक है और देश में कृषि परिवारों की आजीविका में सहायता करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार जूट उत्पादकों, जूट मिल श्रमिकों आदि को सहायता प्रदान करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एक सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म 'जूट'-स्मार्ट' शुरू किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में जूट के व्यापार में लगे किसानों और व्यक्तियों को मजबूत करने में सक्षम बनाने के लिए इसे किस तरह से लागू किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने जूट इम्प्रोवूड कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज की अब तक की उपलब्धियों का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जूट किसानों की आय में किस हद तक वृद्धि हुई है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): जी, हां। पटसन उद्योग तृतीयक क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों सहित संगठित मिलों में 3.70 लाख कामगारों और पटसन विविधीकृत उत्पाद (जीडीपी)-एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 2.00 लाख लोगों को सीधे रोजगार को उपलब्ध कराने वाला और साथ ही कई लाख किसान परिवारों की आजीविका को सहायता देने वाला प्रमुख उद्योग है।

(ग): भारत सरकार ने पटसन किसानों और पटसन मिलों के कामगारों को सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कई कदमों को उठाया है। जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. पटसन-आईकेयर (पटसन: उन्नत खेती और विकसित रेटिंग प्रक्रिया): राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी), भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) और केंद्रीय पटसन और संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ) कृषि मंत्रालय के साथ वर्ष 2015-16 से पटसन-आईकेयर (उन्नत खेती और विकसित रेटिंग प्रक्रिया) कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। यह कार्यक्रम पटसन खेती के लिए वैज्ञानिक विधियों का पैकेज और रेटिंग प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें (i)किसानों का पंजीकरण (ii) एचवाईवी प्रमाणित पटसन बीजों की आपूर्ति (iii) मैकेनिकल इंटरवेंशन जैसे: लाइन सोइंग के लिए सीड ड्रिलर, डी-वीडिंग के लिए नेल/साइकिल वीडर्स (i v) रेटिंग एक्सीलेटर्स जैसे: सीआरआईजेएएफ सोना, शीघ्र और बेहतर गुणवत्ता रेटिंग के लिए एनआईएनएफईटी साथी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, 2015-16 से कुल 3.00 लाख किसानों को सहायता प्रदान की गई (1.25 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल किया गया) और 2650 मीट्रिक टन प्रमाणित पटसन बीज, 4150 सीड ड्रीलर मशीनें, 4950 नेल वीडर मशीनें और 3034 मीट्रिक टन सीआरआईजेएएफ सोना/एनआईएनएफईटी साथी वितरित की गई हैं।

ii. कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय): एनजेबी पटसन मिल कामगारों के लिए स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए वास्तविक व्यय का 90% की दर से अधिकतम 60.00 लाख रुपए (प्रति मिल/वर्ष) की सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 से, 46 पटसन मिलों में कुल 1445 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

iii. पटसन मिल कामगारों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, एमएसएमई: एनजेबी पटसन मिल/जेडीपी-एमएसएमई इकाइयों के कामगारों की बालिकाओं को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2014-15 से 24,913 बालिकाओं को 18.36 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन दिया गया है।

iv. पटसन उत्पादकों को सहायता: जब कभी बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चला जाता है तो भारत सरकार पटसन उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय पटसन निगम (जेसीआई), किसानों से सीधे कच्ची पटसन के लिए समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए नोडल एजेंसी है। जेसीआई ने एमएसपी दर पर किसानों द्वारा दी गई कच्ची पटसन की किसी भी मात्रा को खरीदना अनिवार्य कर दिया है। चूंकि, कच्ची पटसन का बाजार मूल्य पिछले कुछ वर्षों के दौरान एमएसपी मूल्य से अधिक रहा है, इसलिए एमएसपी के अंतर्गत जेसीआई द्वारा न्यूनतम खरीद की गई है। पिछले कई वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी नीचे दी गई है:

वर्ष	कच्ची पटसन की टीडीएन3 श्रेणी की एमएसपी (रुपए प्रति क्विंटल)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
2013-14	2300	4.50

2014-15	2400	4.30
2015-16	2700*	12.50
2016-17	3200*	18.52
2017-18	3500*	9.38
2018-19	3700*	5.71
2019-20	3950*	6.75
2020-21	4225*	7.00
2021-22	4500*	6.50

*फसल वर्ष 2015-16 से सीएसीपी, भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार टीडी5 आधार के बजाय टीडीएन3 आधार और ग्रेडों की संख्या 8 ग्रेड (टीडी1-टीडी8) से घटाकर 5 ग्रेड (टीडीएन1-टीडीएन5) तक कर दिया गया है।

(v) पटसन मिल कामगारों को सहायता: भारत सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं का अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस अधिनियम के माध्यम से, प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार वस्तुओं और सीमा का निर्धारण करती है जहां तक उन्हें पटसन पैकेज सामग्रियों में अनिवार्य रूप से पैकिंग करना अपेक्षित होता है। जेपीएम अधिनियम के अंतर्गत जारी निदेशों के अनुसार वर्तमान में कुल खरीद पटसन वस्तुओं के कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत और सैकिंग के कुल उत्पादन का 88 प्रतिशत है। इससे पटसन उद्योग को अपनी मिलों को चलाने के लिए प्रत्येक माह लगातार ऑर्डर प्राप्त होने में सहायता मिली है और इसलिए पटसन मिल कामगारों के रोजगार को बनाए रखने में सहायता हुई है।

(घ): सरकार ने राज्य खरीद एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (एसपीए/एफसीआई) के लिए खरीद, निरीक्षण, पटसन थैलों का प्रेषण हेतु एंड टू एंड वेब आधारित प्लेटफार्म विकसित किया है और पटसन मिलों को किया गया भुगतान पारदर्शी, नियम आधारित, प्रयोग करने में आसान और रियल टाइम है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 'पटसन-स्मार्ट' के नाम से जाना जाता है जिसे नवंबर, 2016 में शुरू किया गया है जो पटसन सैकिंग सप्लाई मैनेजमेंट और रिक्विजिसन टूल है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, विभिन्न एसपीए/एफसीआई पटसन थैलों की वार्षिक तौर पर लगभग 27.00 से 30.00 लाख गांठों (पटसन वस्तुओं के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत) की खरीद कर रहे हैं जिनकी कीमत लगभग 7,000 से 7,800 करोड़ रुपए है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से पटसन थैलों की सुचारू खरीद से पटसन मिलों और पटसन मिल कामगारों को शीघ्र भुगतान में सहायता मिली है। इससे पटसन थैलों के उत्पादन और आपूर्ति में बाधाओं को हटा करके समय खपत वाले जटिल प्रचालन को आसान बनाया गया है।

(ङ): जी, हां। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा उन्नत खेती और विकसित रेटिंग प्रक्रिया (आईकेयर) पर पायलेट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, आईकेयर इंटरवेशन के परिणामस्वरूप किसानों की आय में लगभग 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, उत्पादकता में 15% और कच्ची पटसन की गुणवत्ता में 1 ग्रेड तक की वृद्धि हुई है।

***